







सुकन्मा नम्बर  
49/2015

साक्षर दिनांक  
11-03-2015  
उमदान

19/03/2015

- 01. आलमदीन पुत्र श्री शाहीन मेव उम्र करीब 53 साल
  - 02. इल्हास पुत्र श्री शाहीन मेव उम्र करीब 50 साल
  - 03. नसीर पुत्र श्री शाहीन उम्र करीब 45 साल निवासीगण ग्राम फकरुदीनका तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
- : दादीगण


**बनाम**

- 01. दीनमोहम्मद पुत्र नसीदा मेव
  - 02. रसीद पुत्र नसीदा मेव
  - 03. शम्सुद्दीन पुत्र नसीदा मेव
  - 04. कालू उर्फ सय्यदुदीन पुत्र दीन मोहम्मद मेव निवासीगण ग्राम फकरुदीनका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)
  - 05. श्रीमती सौमन पत्नी श्री अजीम जाति मेव निवासी ग्राम सहसीला तहसील ताँवडू जिला मेवात (हरियाणा)
- : प्रतिवादीगण

दादा इशतकर हक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय हुकूमद्मनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 122 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**पर्चा डिक्री**

आराजी खसरा नम्बर 245/422 रकबा 5 बिस्वा का दादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस हद तक प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 उक्त दादीगण के कब्जा काश्त मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

  
(के० राम यादव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (अलवर)

आराजी नम्बर 245/422 रकबा 5